## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2019–20

जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)-माध्यमिक

सीकर

झुन्झुनू

अलवर/भरतपुर/चूरू/सीकर/झुन्झुनूं।

06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

शासन का पत्रांक:- प. 04(6) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक: 28.08.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के विन्दु संख्या 127.03 के क्रम में राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश की पालना में निम्नांकित 06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्ताधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती

<b>}</b>					
क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	आई.एफ.एम.एस. कोड	विद्यालय का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	अलवर	रामगढ	30355	रामावि ढहरवाला वास	शहडोली
2	भरतपुर	वैर	6809	रामावि दिवली	दिवली
3	चूरू	राजगढ	4103	शहीद डिप्टी कमांडेंट विजयपाल सिंह रामावि गागडवास	राघा बड़ी
4	सीकर	फतेहपर	29248	शहीद मोहम्मद यसफ रामावि हेतमसर	देवास

6 शर्ते:-

5

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2019-20 से प्रारंभ होगा ।

फतेहपुर

लक्ष्मणगढ

अलसीसर

स्वीकृति के वर्ष 2019-20 से सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।

29248

10487

उक्त विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0(मुख्यालय)—माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालयों से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- secondarydd2@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।

शहीद मोहम्मद युसूफ रामावि हेतमसर

रामावि यालसर

राबामावि टमकोर

स्टाफिंग पैर्टन के बिन्दु सं. 6:1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे।

अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।

स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं 6:3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नित हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी ।

यह स्वीकृति वित (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

विद्यालयों के कमोन्नित आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालयों का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, यू-डाईस कोड, IFMS कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

www.rajteachers.com

आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

लालासी

टमकोर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर। 2.
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3.

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4

- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।

संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/चूरू।

- 10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर/भरतपुर/चूरू/सीकर/ झुन्झुनूं ।
- 11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान, रामगढ़/वेर/राजगढ़/फतेहपुरा/लक्ष्मणगढ़/ अलसीसर।
- अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण/बजट/ योजना/सामान्य प्रशासन अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर